भारत ऑस्ट्रेलिया को WTO मध्यस्थता में चुनौती देगा

प्रिलिम्स के लिये:

विश्व व्यापार संगठन (WTO), सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS), संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI), विवाद निपटान तंत्र, विवाद निपटान निकाय (DSB), अपीलीय निकाय, विकासशील देश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते

मेन्स के लिये:

विश्व व्यापार संगठन (WTO), सेवा क्षेत्र, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS), संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI), विवाद निपटान तंत्र

स्रोत: इकॉनोमिक्स टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत ने **सेवा क्षेत्र** से संबंधित एक मुद्दे को सुलझाने के लिये **ऑस्ट्रेलिया** के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) के **नियमों** के तहत मध्यस्थता कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि इससे भारत के सेवा व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत द्वारा उठाई गई चिंताएँ क्या हैं?

- फरवरी 2024 में अबू धाबी में **विश्व व्यापार संगठन** से जुड़े 70 से अधिक देशों ने **संयुक्त वक्तव्य पहल (Joint Statement Initiatives-JSI)** पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत वे सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Goods in Services- GATS) के तहत **अतिरिक्त दायित्व** ग्रहण करेंगे, ताकि आपस में **गैर-वस्तु व्यापार को आसान** बनाया जा सके और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सभी **सदस्यों** को **समान रियायतें** दी जा सकें।
  - **GATS** एक **WTO** समझौता है जो **वर्ष 1995** में लागू हुआ। भारत वर्ष 1995 से जिनेवा स्थित इस संगठन का सदस्य है।
- इन **दायित्वों का उद्देश्य लाइसेंसिंग व** योग्यता आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं एवं तकनीकी मानकों से संबंधित **अनपेक्षित व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों को कम करना है।**
- इससे **भारतीय पेशेवर कंपनियों को** भी **लाभ होगा,** जिन्हें अब इन 70 देशों के बाज़ारों तक पहुँचने का **समान अवसर** मिलेगा, बशर्ते वे निर्धारित मानकों को पूरा करें।
- अनुमान के अनुसार, इस पहल से निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये **सेवा व्यापार लागत में** 10% तथा उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये 14% की **कमी आएगी,** जिससे कुल मिलाकर 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।
- **संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) का विरोध:**
  - अबू धाबी में हुआ नया समझौता एक **बहुपक्षीय समझौता है, जिसमें 164 WTO सदस्यों में से केवल 72 ही पक्षकार हैं।**
  - **भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई WTO सदस्य इस समझौते पर सहमत नहीं हुए हैं** तथा भारत ने अन्य विकासशील देशों की तरह, **विभिन्न संयुक्त वक्तव्य** पहलों (JSI) का **विरोध किया** है, **क्योंकि उन पर सभी सदस्यों द्वारा बातचीत नहीं की गई है।**
  - विशेषज्ञों का तर्क है कि **संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI)** को **WTO** में एकीकृत करने की यह प्रवृत्ति **WTO को शक्तिहीन करेगी** तथा निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME), **लिंग व** ई-कॉमर्स पर ऐसी कई और JSI को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
  - JSI के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति ऑस्ट्रेलिया का अनुपालन, इस **विवाद का एक मुद्दा** है।
- **ऑस्ट्रेलिया मामला:**
  - वर्ष 2023 में, **ऑस्ट्रेलिया ने सेवाओं के घरेलू विनियमन** से संबंधित **अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं को शामिल** करने हेतु GATS के तहत विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की अपनी **अनुसूची को संशोधित करने हेतु WTO को सूचित किया।**
  - एक **"प्रभावित सदस्य"** के रूप में भारत ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी विशिष्ट प्रतिबद्धताओं में किया गया संशोधन **कुछ शर्तों को पूर्ण नहीं करता है।**
  - **भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत** के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका।

विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र क्या है?

- **विचार-विमर्श:**
  - औपचारिक विवाद शुरू करने से पूर्व, शिकायतकर्त्ता पक्ष को बचाव पक्ष से **विचार-विमर्श का अनुरोध** करना चाहिये। **बातचीत के माध्यम से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास में** यह **पहला कदम** है।
  - विचार-विमर्श **विशिष्ट समय-सीमा के भीतर** आयोजित किया जाना चाहिये तथा इसमें शामिल पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **पैनल की स्थापना:**
  - यदि विचार-विमर्श से **विवाद का समाधान नहीं हो पाता है,** तो शिकायतकर्त्ता पक्ष विवाद निपटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB)** इस प्रक्रिया की देखरेख करता है।
  - **सामान्य परिषद,** WTO सदस्यों के बीच **विवादों से निपटने के लिये DSB के रूप में बुलाई जाती है।** DSB के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:
    - विवाद निपटान पैनल स्थापित करना,
    - मामलों को मध्यस्थता के लिये भेजना,
    - पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना,
    - सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखना और
    - उन सिफारिशों और निर्णयों का अनुपालन न करने की स्थिति में रियायतों को निलंबित करने का अधिकार देना।
  - यह पैनल व्यापार कानून और विवाद के विषय में प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले **स्वतंत्र विशेषज्ञों** से बना है। यह **मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा करता है और इन पर आधारित एक रिपोर्ट जारी करता है।**
- **पैनल रिपोर्ट:**
  - **पैनल की रिपोर्ट में तथ्य, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लिये सिफारिशें शामिल हैं। इसे सभी WTO सदस्यों को भेजा जाता है, ताकि वे समीक्षा के आधार पर टिप्पणी दे सकें।**
- **दत्तक ग्रहण या अपील:**
  - रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर विवाद निपटान निकाय का निर्णय अथवा सिफारिश बन जाती है, जब तक कि आम सहमति से इसे अस्वीकार न कर दिया जाए।
  - **विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय:**
    - अपीलीय निकाय की स्थापना वर्ष 1995 में विवादों के निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझौते (DSU) के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई थी।
    - यह सात व्यक्तियों का एक स्थायी निकाय है जो WTO सदस्यों द्वारा की गई अपीलों पर सुनवाई करता है। अपीलीय निकाय के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
    - यह किसी पैनल के कानूनी निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, उन्हें संशोधित कर सकता है या पलट सकता है।
    - अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को, एक बार DSB द्वारा अपनाए जाने के बाद, विवाद से संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये।
    - अपीलीय निकाय का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- **अनुशंसाओं का कार्यान्वयन:**
  - यदि कोई WTO सदस्य अपने दायित्वों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उपायों को WTO समझौतों के अनुरूप आधार पर निर्धारित करे।
  - यदि सदस्य ऐसा करने में विफल रहता है, तो शिकायतकर्त्ता रियायतों के निलंबन या अन्य उपायों के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने के लिये प्राधिकरण की मांग कर सकता है।

विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism- DSM) से संबंधित समस्या:

- अमेरिका ने **नए अपीलीय निकाय** के सदस्यों और न्यायाधीशों की नियुक्ति को **व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध** कर दिया है तथा वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन की अपील प्रणाली के **काम में बाधा** उत्पन्न की है।
- **भारत** सहित विकासशील देश, **विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र (DSM)** को उसकी पूर्व कार्यात्मक स्थिति **पुनर्बहाली की वकालत करते हैं** तथा अपीलीय निकाय द्वारा प्रदान की गई जाँच और संतुलन के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं।
- विकासशील देशों के पास विश्व व्यापार संगठन में **द्वि-स्तरीय DSM** को बनाए रखने के लिये **तीन विकल्प हैं,** जैसे **यूरोपीय संघ** के नेतृत्व वाली **अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA)** में शामिल होना, एक **कमज़ोर अपीलीय निकाय** को स्वीकार करना और **ऑप्ट-आउट प्रावधान** (**Opt-Out Provision**) के साथ मूल अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना।

निष्कर्ष:

- विश्व व्यापार संगठन में मध्यस्थता प्रक्रिया **ऐसे विवादों को सुलझाने** और सदस्य देशों के **अधिकारों तथा दायित्वों** को बनाए रखने के लिये **एक**

तंत्र के रूप में कार्य करती है।

- दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिये पुनः बातचीत पर विचार कर सकते हैं। WTO विवाद निपटान प्रक्रिया **सभी स्तरों पर समझौते को प्रोत्साहित** करती है।
- भारत ने पूर्व में ही WTO मध्यस्थता शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों का एक पैनल शामिल होता है जो WTO समझौतों और व्याख्याओं के आधार पर निर्णय जारी करता है। जबकि WTO का अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय है, **मध्यस्थता एक अस्थायी समाधान प्रदान कर सकती है।**
- भारत विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र में सुधार का प्रबल समर्थक रहा है। **भविष्य के व्यापार विवादों के लिये एक व्यवस्थित अपीलीय संस्था अआवाश्यक है।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश को पूरा करने में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2018)

(a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
(d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (D)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

(a) खाद्य और कृषि संगठन
(b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
(c) विश्व व्यापार संगठन
(d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'एंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

(a) WTO मामला
(b) SAARC मामला
(c) UNFCCC मामला
(d) FTA पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन किया है।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।
3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़िंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018)

प्रश्न. "WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नति करना है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोंमुखी प्रतीत होती है जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-to-take-australia-to-wto-arbitration